राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक प. 5(1)संसद / 2021 जयपुर, दिनांकः 2021

सचिव,
राजस्थान विधान सभा सचिवालय,
जयपुर।

विषय : लॉकडाउन अवधि में पूर्व विधायकों को बिना अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के निजी दूकानों से दवा क्रय किये जाने हेतु शिथिलता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :आपका पत्र क्रमांक एफ. 6(106)पेंशन / चिकि / लेखा / बिल / विस / 2013 / 9473 दिनांक 15.06.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्थान विधानसभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुम्ब पेंशनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 के नियम 11(3) के प्रावधानों में दिनांक 29.04.2021 से दिनांक 31.07.2021 तक की अवधि के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए निम्नानुसार स्वीकृति एतत्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

"वित्त विभाग के आदेशांक F. 1(2)FD/Rules/2014 दिनांक 29.04.2021 द्वारा Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, 2014 के पैरा. 8(3)(i) उपचार के प्रावधानों में कारोना महामारी के कारण राज्य के पेंशनरों को दिनांक 31.07.2021 तक प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर कानफेड और उपभोक्ता संघ से बिना एन.ए.सी प्राप्त किए निजी दुकानों से औषधियां क्रय किये जाने हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान की गई थी। इस क्रम में एवं प्रशासनिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान विधानसभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुम्ब पेंशनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 के नियम 11(3) के प्रावधानों में दिनांक 29.04.2021 से दिनांक 31.07.2021 तक की अवधि के लिए शिथिलता प्रदान की जाती है।"

यह स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन उपरान्त वित्त (नियम) विभाग की आई. डी. संख्या 102102738 दिनांक 02.07.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर प्रसारित की जाती है।

भवदीय,

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव।।, वित्त (नियम) विभाग को उनकी आई डी संख्या 102102738 दिनांक 02.07.2021 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय–4) विभाग।
3. निदेशक, वित्त(बजट) विभाग
4. निदेशक, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान , जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. कोषाधिकारी, राजस्थान विधानसभा कोष, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि संसदीय कार्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
9. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

Latter